

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग(डीग)
 तारीख पटवारी, पटवार मंडल... बनाम राजस्थान सरकार
 हुक्म संख्या:- 64/25 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज GCMS No-
 किस्म प्रार्थना पत्र:- अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट 1956 2025/341

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए.

26.11.2025

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पटवारी, पटवार मंडल कुहरियाँ द्वारा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। आवेदन पत्र के साथ भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.04.2025 की प्रति पेश की गई। तहसीलदार (भू.अ.) डीग की रिपोर्ट क्रमांक 253/2025/3423 दि. 26.11.2025 से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। पटवारी, पटवार मंडल कुहरियाँ के निवेदन पर सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार डीग की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा पटवारी, पटवार मंडल कुहरियाँ ने मौखिक निवेदन किया है कि बाकै ग्राम जायलखीम स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2076-79 के खाता संख्या 27 खसरा नं० 198/खसरा 50/2025 के काश्तकार बनासैं पुत्र कुवरसैन हिस्सा 1/28 जाति जाट निवासी जायलखीम खातेदार राहिन हिस्सा 1/28 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा डीग के स्थान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा डीग दुरुस्त किया जावे।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप तथा तहसीलदार डीग की स्पष्ट अभिशंका के आधार पर हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।

आदेश

अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा अंतर्गत 136 एल0आर0एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया बाकै ग्राम जायलखीम स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2076-79 के खाता संख्या 27 खसरा नं० 198/खसरा 50/2025 के काश्तकार बनासैं पुत्र कुवरसैन हिस्सा 1/28 जाति जाट निवासी जायलखीम खातेदार राहिन हिस्सा 1/28 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा डीग के स्थान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा डीग दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार डीग को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहरीर जारी हो। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2025 को न्यायालय हाजा में सुनाया गया।

(मकेश चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी
 डीग (जिला डीग)